

आदेश की  
क्रम संख्या  
और  
तारीख

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर

आदेश पर की  
गई कार्यवाही  
क वार में  
दिखायी गयी

प्रा.प. 2

~~उपरोक्त, गिरगीर, देसा, गिरगीर~~ मंत्रालय के  
मौजा गरीगीर खाना नं 157, लिमिट संख्या  
1400, 1401, 1402, 1403, 1404 एवं 1405  
~~कुल संख्या 1400 व 1401 के नामों के गाँव~~ विस्तृत  
गाँव का निवेदन उपरोक्त, गिरगीर द्वारा  
दिया गया था।

के माध्यम से नदनुवाल समाचार पत्रों  
संस्था का वापिस कराया गया।  
इस तथे पर मंत्रालय अधिकारी,  
गिरगीर के प्रतिक्रम एवं संतुष्ट करके  
ज्ञात किये गये।

मंत्रालय अधिकारी गिरगीर व  
पत्रांक 2455 दिनांक 24/12/2016 द्वारा  
प्रतिक्रम देकर मौजा गरीगीर, खाना नं  
104 के अन्तर्गत खाना नं 157, लिमिट नं  
1401, 1402, 1403, 1404, 1405 एवं 1400,  
कुल संख्या 1402 एवं 1404 के नामों के  
राजकुमार सहायकारियों के नाम से  
वे लगान देते हैं। सरे खानियान में  
पाने वाले का नाम मैनेजर इन्फरमेटिव  
मीन गरीगीर हीकेत उमेश नारायण सिंह देते हैं।

मंत्रालय अधिकारी के प्रतिक्रमोत्तर  
प्रतिक्रम गरीगीर की मनाकरी मोठे मरबूक वगैरह  
के नाम से वर्ष 1972-73 से देते हैं।  
उक्त मनाकरी का आधार क्या है - पर  
स्पष्ट नहीं है।

07/12/16

सुनवाई के क्रम में यह नया परिवर्तित  
हुआ प्रशासन जमीन पर पूर्व में सरकारी  
असि डिपॉ ही हुआ करता था।

आवेदन के आवेदन  
पर भी यह नया उपलब्ध है कि प्रशासन  
जमीन पर इस कालावधि के एक विचार  
राज्य परिवर्तन के हैं। इसके अनिश्चित

इस जमीन पर गोलकुंडा होने का भी  
उल्लेख आवेदन के द्वारा किया गया है  
जहां सन् 1922 ई में सार्वजनिक  
मालका गौरी के हारने का उल्लेख है

मुख्य बिन्दु यह है कि  
प्रशासन जमीन आज तक बेमालूम है,  
जिसका Rent ससम परेश्वारी द्वारा  
आज तक निर्धारित नहीं किया गया है।

दूसरा पक्ष यह है कि खनिजानी रूप  
के वंशज न तो उपस्थित हुए और न  
ही इस जमीन पर दावा किया गया।

निश्चित रूप से प्रशासन जमीन पूर्व में  
Escheated property रहा है।

Escheated property का सीमा अथवा  
Permanent transfer विचार। सरकार  
द्वारा अगर किया गया है तो  
वैली रिपोर्ट में तथा कथित दावेदार का  
onus होगा कि इसे प्रमाणित करे।

अ. बिहार Land Revenue  
Act की धारा 4 में नया अध्याय संशोधन  
जमाएँ के रूप में करने का अधिकार 24132  
के द्वारा है।  
इस परिपत्र के अन्तर्गत परेश्वारी के  
अधिकार 24132 के अन्तर्गत है।  
जिसमें नया अध्याय संशोधन  
जमाएँ के रूप में करने का अधिकार 24132  
के द्वारा है।